

क्षेत्रीय कार्यालय/प्रभागीय कार्यालय
 कर्मचारी राज्य बीमा निगम
 क०रा०बी० औषधालय परिसर
 हनुमन्तगढ़ी, दिल्ली-110089

5 OCT 2004

संख्या : डी/-/बीमा- 70 - 411-30-75374-101

दिनांक

संज्ञा में,

मेसर्स Green House Keeping
 D-1/102, Street No.3,
 Ashok Nagar, Delhi-93.

विषय :- कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (यथा-संशोधित) की धारा 2 (12) 1 (5) के अंतर्गत कर्मचारियों तथा फैक्टरियों कापनाओं का चयन करना।

प्रिय महोदय,

आपको सूचित किया जाना है कि कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम की धारा 1 (3) के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार की अधिसूचना सं० एस०फ०-12(36) दिनांक 1-2-52 के अनुसार संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली (क्षेत्र) के अंतर्गत अधिनियम के अधीन शामिल सभी फैक्टरियों पर कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के प्राव्यों को लागू किया गया है।

आपको सूचित किया जाता है कि उपर्युक्त अधिनियम के प्राव्यों का विस्तार कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अधीन सभी फैक्टरियों पर कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के प्राव्यों को लागू किया गया है।

स्थापना का विवरण	अधिष्ठाता संख्या तथा तारीख	क०रा० बीमा निगम (एरिड) योजना के विस्तार की तारीख
1. पश्चिमी वाहक लाइनों के क्षेत्र में बिना किसी भी प्रकार के अधिसूचना (उसके उप-क्षेत्र सहित) में जहाँ दस अथवा इससे अधिक लोकन किमी. की दशा में 20 से अधिक व्यक्ति नियोजित हैं अथवा नियोजित थे तथा उसके किमी. की भाग में विद्युत शक्ति की सहायता से असाधारण तथा विविध प्रकार की प्रक्रिया चल रही है।	एफ०-27(2) 73-लेब 28-3-75	29-3-75
2. बिना वाहक लाइनों के क्षेत्र में बिना किसी भी प्रकार के अधिसूचना (उसके उप-क्षेत्र सहित) में जहाँ दस अथवा इससे अधिक लोकन किमी. की दशा में 20 से अधिक व्यक्ति नियोजित हैं अथवा नियोजित थे तथा उसके किमी. की भाग में विद्युत शक्ति की सहायता से असाधारण तथा विविध प्रकार की प्रक्रिया चल रही है।	यही-	यही-
3. बिना वाहक लाइनों के क्षेत्र में बिना किसी भी प्रकार के अधिसूचना (उसके उप-क्षेत्र सहित) में जहाँ दस अथवा इससे अधिक लोकन किमी. की दशा में 20 से अधिक व्यक्ति नियोजित हैं अथवा नियोजित थे तथा उसके किमी. की भाग में विद्युत शक्ति की सहायता से असाधारण तथा विविध प्रकार की प्रक्रिया चल रही है।	यही-	यही-
1. होटल		
2. पुरुष दंत चिकित्सक सलियु मिश्रा		
3. सड़क मार्ग परिवहन	एफ०-27(2) 74-लेब	28-3-76
4. गंगादास का परिवार	डि० न० 26-3-76	
5. पुराने	एफ० 27(2) 88 आई.एस.सी.लेब दिनांक 30-9-88	2-10-88

आपको सूचित किया जाता है कि कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम की धारा 2 (12) 1 (5) के अंतर्गत कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अधीन शामिल सभी फैक्टरियों पर कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के प्राव्यों को लागू किया गया है।

आपके द्वारा आपकी फ़ैक्टरी स्थापना के संबंध में दिए गए व्यौरों सहित दिनांक 22.05.04 को वॉमा
क/शाखा कार्यालय प्रबंधक द्वारा किए गए निरीक्षण के आधार पर आपकी फ़ैक्टरी स्थापना 1.05.04 (P) की जा रही है।

अर्न्तन्त रूप से अधिनियम की धारा 1(5) के अन्तर्गत व्याप्ति में आती है लेकिन यदि बाद के तथ्यों से पता
चले कि आपकी फ़ैक्टरी स्थापना उपरोक्त तारीख से पहले की किसी तारीख से उपर्युक्त विहित तारीख से शामिल की जानी थी तो
आप ऐसी पहले की तारीख के अधिनियम के उपबंधों का पालन करने के लिए बाध्य होंगे। **Employees Strength-20**

अतः अंतर्गत अधिनियम के अधीन शामिल किये जाने की तारीख से अपने
कर्मचारियों का पंजीकरण करवाने घोषणा पत्र भरने तथा अंशदान का भुगतान करने रिकार्ड के अनुरक्षण आदि के संबंध में शीघ्र कारवाई करें। सुविधा
की दृष्टि से आपकी फ़ैक्टरी स्थापना को कूट संख्या 11-30-75374-101 आंबटित की गयी है। इस कार्यालय को भेजे गए सभी
पत्रादि में तथा फार्मा में निर्दिष्ट स्थानों पर इन कूट संख्या का प्रयोग करें।

Shahdara पर स्थित स्थानीय कार्यालय को आपके कर्मचारियों के पंजीकरण के संबंध में आपको आवश्यक
सहायता देने के अनुरोध दिव्य है। यदि कोई कर्मचारी जो आप कृपया उपर्युक्त शाखा कार्यालय के प्रबंधक से सम्पर्क करें जो मामले में आपकी
अधीन सहायता करेगा। निम्नलिखित कि आप अपनी फ़ैक्टरी स्थापना में राज्य वॉमा शाखा कार्यालयों की संलग्न सूची का प्रयोग करें ताकि आपके कर्मचारी
आपके राज्य वॉमा शाखा कार्यालयों से प्राप्त करें, उक्त कार्यालय के साथ आपके
सभी कर्मचारी संबंध किए जाएंगे।

कर्मचारी राज्य वॉमा अंशदान स्वीकार करने वाली बैंक की शाखाओं की सूची संलग्न है। आप कृपया अपनी सुविधा के अनुसार
किसी एक बैंक का चुनाव करें और उसी बैंक से अंशदान तथा भागीदार स्टेट बैंक की संबंधित शाखा को भेज दें। आप केवल इसी शाखा में
कर्मचारी राज्य वॉमा गति का भुगतान करें। यदि बैंक को प्राप्त के 15 दिन के अन्दर फोट सूचना प्राप्त नहीं हुई तो आपके द्वारा जिस शाखा में गति
जमा कराई जाएगी उसी शाखा को आपकी कर्मचारी अंशदान शाखा मान लिया जाएगा।

अंतर्गत अधिनियम के अन्तर्गत अधिनियम 1948 की बाध्यताओं का पालन करने में
आपकी सभी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने का हमें विश्वास है कि आप अपनी और अपने कर्मचारी राज्य वॉमा अधिनियम के उपबंधों
तथा अधिनियमों का तत्परता से और समझ पर पालन करेंगे। आपसे यह भी अनुरोध है कि आप सभी प्रकार से संलग्न फार्म (a) विधिवत
प्रकार से कार्यालय को भेजने की कृपा करें।

यदि फार्मों की प्रतियाँ आपके कार्यालय में या इंस्टॉल की मातृकाना स्थिति में या आपके द्वारा बैंक खाने के मद में
को सूचना का भुगतान करने के लिए प्रेषित करने की कृपा पंजीकृत करवाने की सुविधा करें।

Please Contact District Office, Shahdara, Delhi
Send all forms to the District Office, Shahdara, Delhi

भवदीय,

कृते क्षेत्रीय निदेशक
30/4

संलग्न

District Office, Shahdara, Delhi

कर्मचारी राज्य वॉमा शाखा कार्यालय

1. शाखा कार्यालय Shahdara, Delhi
2. संलग्न शाखा कार्यालय में भेजे गए अंशदान और न कर्मचारी देन
3. श्री सुश्री... के साथ निदेशक के साथ प्रेषित करने के लिए प्रमाण पत्र...
की इस निदेशक के साथ प्रेषित करने के लिए प्रमाण पत्र... इस फ़ैक्टरी को अंशदान अधिनियम की तारीख निर्धारित करने की प्रक्रिया करने के लिए
अंशदान अधिनियम के अन्तर्गत
4. गाइड फ़ाईल।
5. मुख्य कारखाना निरीक्षक 15, गण / गेट, दिल्ली को सूचनायें।
6. B.P.O., E.M.D. भवन, नई दिल्ली।

कृते क्षेत्रीय निदेशक